

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ~~हरनावदा~~ <sup>दीगढ़</sup> जागीर  
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपावडौद जिला बारां  
प्रकरण संख्या :- 78/2017 दावा  
दायरा दिनांक :- 27.04.2017  
निर्णय दिनांक :- 19.06.2017

### उनवान

कजोडीबाई पुत्री नेनगा जाति लोधा निवासी अमरपुरा तहसील छीपावडौद

### बनाम


राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपावडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट  
निर्णय दिनांक :- 19.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 110 रकवा 01 बीघा 13 विस्वा, ख0नं0 111 रकवा 10 विस्वा, मौजा अमरपुरा में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजियात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते हैं इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 02.05.2013 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 02.05.2013 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जयें सम्मन तलव किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमावन्दी ग्राम हरनावदा जागीर संवत 2067-70 खाता संख्या पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प हरनावदा जागीर पर उपस्थित हुआ। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी क सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का को विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आरा का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
छीपावडौद जिला बारां

1/5

निरन्तर—2पर

(2)

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जमाबन्दी ग्राम अमरपुरा संवत् 2067-70 के ख0नं0 110 रकवा 01 बीघा 13 विस्वा, ख0नं0 111 रकवा 10 बिस्वा, वादी के खातेदारी एवं कब्जे काशत में दर्ज हैं। वादी अपने खाते एवे कब्जे काशत की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काशतकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ~~इफोड~~ जागीर पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम अमरपुरा के ख0नं0 110 रकवा 01 बीघा 13 विस्वा, ख0नं0 111 रकवा 10 बिस्वा, का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)  
सुबखण्ड अधिकारी  
छीपाबडौद जिला बारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या	79/2017	धारा अन्तर्गत 89, RTA	निर्णय दिनांक : 19.06.2017
समक्ष :	श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारां		
उपस्थिति :	अभिभाषक वादी:- श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी:-	

वाद शीर्षक

उनवान

कजोडीबाई पुत्री नेनगा जाति लोधा निवासी अमरपुरा तहसील छीपाबडौद

बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ~~डीकेड~~ जगौर पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम अमरपुरा के ख0नं0 110 रकवा 0। बांघा 13 बिस्वा, ख0नं0 111 रकवा 10 बिस्वा, का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 19.06.2017 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी  
छीपाबडौद

व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन	
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक	
6.	व्यय साक्षी	
7.	फीस कमिश्नर	
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति	
9.	ब्याज ( %)	
10.	योग	